

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

शपथ-पत्र / बन्ध पत्र (AFFIDAVIT/BOND) प्रारूप ::

BC 524935

मैं नूरे खां पुत्र/पत्नी श्री दीने खां जाति मुसलमान उम्र 51 साल निवासी- सोजियों की ढाणी, चान्धन तहसील जैसलमेर जिला- जैसलमेर राजस्थान का निवासी हूँ। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ :-

- 1- कि मेरी संस्था का नाम श्री दीन मोहम्मद गौशाला सोजियों की ढाणी, चान्धन एवं संस्था का पंजीयन संख्या COOP/2020/JAISALMER/200267 यह है। राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक 1926 दिनांक 20.09.2021
- 2- मेरी गौशाला/पशुशिविर के संचालन का स्थान श्री दीन मोहम्मद गौशाला सोजियों की ढाणी, चान्धन तहसील का नाम जैसलमेर जिले का नाम जैसलमेर है।
- 3- मैं इस गौशाला/पशु शिविर का पिछले 02 वर्षों से संचालित कर रहा हूँ मेरी गौशाला / पशु शिविर में वर्तमान में 180 बड़े 20 छोटे कुल 200 पशु संधारित है।
- 4- मुझे ज्ञात है कि जिला कलक्टर/राज्य स्तर से पशु शिविर का अकस्मिक निरीक्षण/विडियो ग्राफी करवाई जा सके।
- 5- मैं भलीभंति परिचित हूँ कि आकस्मिक निरीक्षण/विडियो ग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पाये जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
- 6- मैं पशु शिविर/गौशाला की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पालना करूंगा।
- 7- जिले द्वारा समय-समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्णतः पालन करूंगा।

तसदीक :-

मैं नूरे खां पुत्र/पत्नी श्री दीने खां जाति मुसलमान उम्र 51 साल निवासी- सोजिया की ढाणी, चान्धन तहसील जैसलमेर जिला- जैसलमेर राजस्थान शपथकर्ता तसदीक करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या से 7 तक दिया गया विवरण सत्य है।

SIGNATURE/ATTTESTED

SAWAI SINGH
NOTARY JAISALMER

अध्यक्ष
दीनमोहम्मद गौशाला
शपथकर्ता सोजियों की ढाणी, चान्धन

SIGNATURE/ATTTESTED

SAWAI SINGH
NOTARY JAISALMER

शपथकर्ता : नूरे खां
अध्यक्ष

दीनमोहम्मद गौशाला
सोजियों की ढाणी, चान्धन

नाम मुद्रांक विभाग पटना दरभंगा अंचल प्रान्त सं. 01 / 2011 / के.स.स.स.
 रजि.क्र.सं. 606 दिनांक 15/03/2022 50
 मुद्रांक क्रेता का नाम डीन मोहम्मद ओशीमान
 पता सोजिमा की टोपी 4/151 अं

हस्ता / हस्तों के हस्ताक्षर

मुद्रांक विभाग के निदेशक
 दरभंगा सं. के.स.स.स.

डीन मोहम्मद ओशीमान

मोला राय

राजस्थान राजपत्र अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत राजपत्र राशि पर प्रभावी अधिनियम

1) आधारभूत आवश्यकता सुविधाओं हेतु (धारा 3-क) 10%	रकम..... 09
2) गाय और ऊँची नुल को संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख) 10%	रकम..... 10
कुल योग	10

पटना के निदेशक
 राजपत्र विभाग, दरभंगा लाईसेंस नं. 01 / 2011